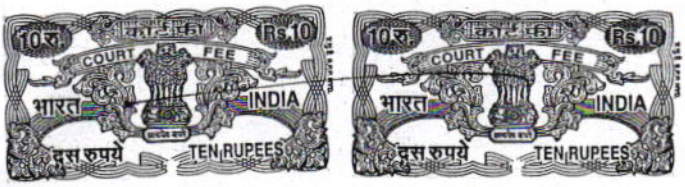

31

<u>समक्ष माननीय सदस्य महोदय, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केम्प भोपाल</u>

निगरानी 2551-II-15

पुनरीक्षण याचिका कमांक : ..../2015

1– मोहम्मद जुबेर आ0 स्वर्गीय मो0इल्यास, आयु 36 वर्ष,
2– मोहम्म्द अब्दुल्ला आ0 स्व0मो0इल्यास, आयु 34 वर्ष,
3– मोहम्मद तारीक आ0 स्व0मो0इल्यास, आयु 32 वर्ष,
4– मोहम्मद बिलाल आ0 स्व0मो0इल्यास, आयु 28 वर्ष,
धंधा कृषि, निवासी ग्राम मोहल्ला काजीपुरा,
कस्बा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर,
मध्य–प्रदेश । .... पुनरीक्षणकर्तागण

श्री गुलाब सिंह चौहान अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 30-7-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
30-7-15

//विरूद्ध//

1– फरीदा बी बेवा शेख आरिफ, आयु 28 वर्ष,
जाति मुसलमान (शेख) निवासी मोहल्ला काजीपुरा,
आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर,
मध्यप्रदेश ।
2– ओसामा खाँ आ0 स्व0शेख आरिफ, आयु 14 वर्ष,
अवयस्क द्वारा संरक्षिका माता–फरीदा बी पत्नी
स्व0शेख़ा आरिफ, आयु 32 वर्ष,जाति मुसलमान (शेख)
(प्रत्यर्थी कमांक 1)निवासी मोहल्ला काजीपुरा,
आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर,म0प्र0 .... प्रत्यर्थी

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता,1959.</u>

श्रीमानजी,

पुनरीक्षण याचिकाकर्तागण, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 के प्रकरण कमांक 10/अ–70/08–09 श्रीमती फरीदा बी विरूद्ध मोहम्मद जुबेर आदि में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध निम्नानुसार वर्णित तथ्यों एवं विधि आधारों पर सविनय पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है :–

Abdullah

<u>//पुनरीक्षण याचिका ज्ञापन//</u>

Tarik

M. Bilal

1– यह कि, आवेदकगण कमांक 1 मोहम्मद जुबेर, कमांक 2

.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2551–दो/2015 जिला सीहोर

मोहम्मद जुबेर आदि विरूद्ध फरीदा बी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–7–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 30–6–2015 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के समक्ष आवेदक कमांक 1 लगायत 4 ने एक आवेदन पत्र आदेश 14 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 का प्रस्तुत किया कि धारा 250 के चरण कमांक 1 लगायत 4 में अभिवचन प्रतिज्ञात किये गये है जिनका उनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद प्रश्नों की विरचना की जाना विधि अनुसार आवश्यक है जबकि न्यायालय द्वारा प्रकरण में वाद प्रश्नों की विवाद्यकों की विरचना नही की है। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–6–15 में यह निष्कर्ष निकालते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत होने व साक्ष्य होने के बाद प्रस्तुत हुआ है जबकि आदेश 14 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में यह स्पष्ट है कि इस नियम की कोई भी बाद न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह उस दशा में	

विवाद्यक विरचित और अभिलिखित करें जब प्रतिवादी वाद की पहली सुनवाई में कोई प्रतिरक्षा नहीं करता। इसी आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर प्रकरण साक्षीयों के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया है। तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात आवेदन द्वारा आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार द्वारा विधिवत सकारण निराकरण कर निरस्त किया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य